

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

:: आदेश ::

आदेश सं०-5/आरोप-1-60/2020 का०-...../राँची, दिनांक.....मई, 2024

श्री जय प्रकाश झा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-580/03), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के विरुद्ध अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2704, दिनांक 15.09.2020 एवं पत्रांक-1256, दिनांक 12.03.2021 द्वारा भूमि रैयतों को मिलने वाली मुआवजा राशि 20,29,80,654/- रुपये का हस्तांतरण भारतीय स्टेट बैंक, लातेहार शाखा से दिनांक 12.09.2018 को एक्सिस बैंक, लातेहार में नियम विरुद्ध किये जाने संबंधी दर्ज परिवाद पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

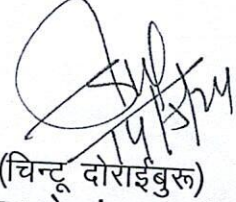
उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2605, दिनांक 15.06.2021 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, लातेहार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-338/स्था०, दिनांक 28.09.2022 द्वारा निदेशक, ITDA लातेहार के पत्रांक-267, दिनांक 25.03.2020 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त जाँच प्रतिवेदन पर अपनी सहमति संसूचित की गई।

निदेशक, ITDA लातेहार के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया श्री झा द्वारा परियोजना-टोरी-महुआमिलान, बीराटोली नई बी०जी०रेलवे लाईन निर्माण पार्ट-I में मुआवजा की राशि-202980654/-(बीस करोड़ उन्नतीस लाख अस्सी हजार छः सौ चौवन) रुपये को दिनांक-12.09.2018 को भारतीय स्टेट बैंक, लातेहार से एक्सिस बैंक, लातेहार में हस्तांतरित किया गया था। श्री झा द्वारा इस राशि में से रैयतों को मुआवजा का कोई राशि भुगतान नहीं किया गया। बाद के एक अन्य जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार श्री जोसेफ कन्डुलना द्वारा 06 वास्तविक रैयतों के बीच मो०-6714139/-(सरसठ लाख चौदह हजार एक सौ उन्नचालीस) रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। तत्पश्चात तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के आदेश से एक्सिस बैंक, लातेहार में रखी गई राशि मो०-196266515/-(उन्नीस करोड़ बासठ लाख छियासठ हजार पाँच सौ पन्द्रह) रुपये भारतीय स्टेट बैंक, लातेहार में दिनांक-31.10.2018 को वापस किया गया।

जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया कि राशन डीलरों को ऑनलाईन मोड की जगह ऑफलाईन मोड करवाकर मोटी रकम वसूलने का आरोप सही नहीं है। साथ ही, श्री झा के विरुद्ध लगाए गए अन्य आरोप Specific नहीं होने के कारण बेबुनियाद एवं निराधार प्रतिवेदित किया गया।

श्री झा के विरुद्ध परिवाद पत्र में अंकित आरोप एवं उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री झा दिनांक 31.08.2019 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः समीक्षोपरांत, संबंधित मामले को झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के तहत कालबाधित मानते हुए श्री जय प्रकाश झा, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार, सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरुद्ध लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची से प्राप्त परिवाद पत्र को संचिका किया जाता है।

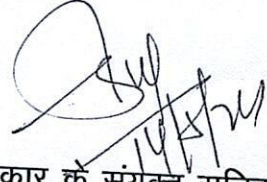


(चिन्तू दोराईबुरु)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-60/2020 कां०-3411/राँची, दिनांक 16 मई, 2024

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/उपायुक्त, लातेहार/अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बूटी रोड, करमटोली चौक, राँची/विभागीय संयुक्त सचिव, (PMU) कोषांग/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-2/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 (पेंशन)/श्री जयप्रकाश झा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पता- आमटांड, लिची बगान, रातु चट्टी, पो0- रातु, थाना- रातु, जिला-राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।